# झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची
**JHARKHAND ACADEMIC COUNCIL, RANCHI**

## झारखण्ड शिक्षक पात्रता परीक्षा, 2026 आवश्यक सूचना

**विज्ञप्ति संख्या – 57/2026**

विज्ञप्ति संख्या– 54/2026 के क्रम में एतद् द्वारा झारखण्ड शिक्षक पात्रता परीक्षा, 2026 के पंजीकृत अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि उक्त परीक्षा के लिए भरे गये आवेदन प्रपत्र में नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्मतिथि, पता, विषय, आदि में संशोधन करने का अवसर निम्नवत् रुप से प्रदान किया जा रहा है :–

- झारखण्ड शिक्षक पात्रता परीक्षा, 2026 के पंजीकृत ऐसे अभ्यर्थी, जिनके द्वारा परीक्षा आवेदन प्रपत्र में नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्मतिथि, पता, विषय, आदि भरने में त्रुटि की गई थी, यथावांछित संशोधन कर सकते हैं।
- संशोधन की प्रक्रिया दिनांक 20.08.2026 से 31.08.2026 तक ऑनलाइन संचालित की जाएगी।
- पंजीकृत अभ्यर्थी अपने Login Id एवं Password का उपयोग कर पोर्टल के माध्यम से वांछित संशोधन कर सकते हैं।
- ऐसे विवरणी में संशोधन (कोटि, शिक्षक लेवल, आदि), जिनसे शुल्क प्रभावित होगा, से संबंधित संशोधन नहीं किया जा सकेगा।
- संशोधन हेतु यह अवसर अन्तिम रुप से प्रदान किया जा रहा है। इसके उपरान्त किसी भी अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।
- अभ्यर्थी द्वारा अपने डाटा में ऑनलाइन संशोधन करने एवं Final submit किए जाने के उपरान्त Final Application Form download करना अनिवार्य होगा। यदि भविष्य में संशोधन के संबंध में अभ्यर्थी द्वारा कोई भी दावा प्रस्तुत किया जाता है तो उक्त Final Application Form को ही मान्यता दी जाएगी।

2) विज्ञप्ति संख्या– 54/2026 के आलोक में जिन अभ्यर्थियों द्वारा वर्ष 2024 में भरे गये आवेदन प्रपत्र से संबंधित Mobile No. और E-mail Id उपलब्ध नहीं होने अथवा निष्क्रिय/अप्रचलित हो जाने के कारण **अभ्यर्थी सत्यापन प्रक्रिया (Candidate Validation Process)** के माध्यम से अभ्यर्थित्व विवरण का सत्यापन के लिए आवेदन दे चुके हैं, के भरे गए विवरणी की सत्यापन प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है। भरे गये विवरणी से पूर्णतः सत्यापित अभ्यर्थी ही नये रुप में दिए गए मोबाईल नं0 एवं ई–मेल का उपयोग कर शिक्षक पात्रता परीक्षा, 2026 के लिए परीक्षा आवेदन प्रपत्र दिनांक 20.08.2026 से 31.08.2026 तक ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। इस निर्धारित तिथि के उपरान्त कोई भी अवसर नहीं प्रदान किया जायेगा।

अध्यक्ष के आदेश से,

JAC/JTET/2406/24-Secy/812/26
Dated – 19.08.2026

ह0/–
सचिव,
झारखण्ड अधिविद्य परिषद्,
राँची।